

F. 7-15/2016/501.

क्रमांक 372/2016/501.

-1-

छव्हीस-२ सचिवालय

विषय :-

याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती मनोरमा खरे
विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं
अन्य।

का विभाग

मंत्री,
म.बा.वि.

पंजी क्रमांक 372/2016/50-1.

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर बेंच
से प्राप्त रिट याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती
मनोरमा खरे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में
प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव आयुक्त, एकीकृत बाल
विकास सेवा संचालनालय से प्राप्त किया जाना है।

अतः आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय
से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु
नस्ती उन्हें अंकित की जाना उचित होगा।

अनु.अधि. (आ.प्र.)

उप सचिव
आयुक्त-आ.प्र.

JD (RPS)

AD (RPS)

B/S

Pj.
mlr

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

26/2

26/2

27/2

354/15
पो नं. 1

24-2-16.

48/क्र.आ.प्र.501
25-2-2016

25.2.2016

मंत्री
म.बा.वि.
छत्तीस-२ सांचवालविषय :- याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती मनोरमा खरे
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से :-

स्था.-5

नस्ती क्र. 254/2015

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 22409/2015 में शासन का पक्ष समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

श्रीमती मनोरमा खरे, पदनाम-परियोजना अधिकारी कार्यालय का नाम-एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कटनी जिला कटनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 22409/2015 दायर की गई है।

प्रकरण का संबंध जिला-कटनी से है। प्रकरण में शासन का पक्ष समर्थन शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, कटनी जिला कटनी को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

372
29/2/16

AD/R.H.

N.H.
27/2/166960
01/3/16

40.

छत्तीस शासन को संकेत करना चाहिए

मुकुंद

29/2

mmf
29/2

Deputy Secretary

50/11

श्री शिवी
24/3/16

कार्य/वर्क के एकाग्रक क्रमांक 2270

दिनांक 01-3-2016

1/3
29/2

एफ 7-15/2016/50-1

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती मनोरमा खरे
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

मंत्रि
म.बा.वि.
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय से प्राप्त प्रस्ताव का कृपया अवलोकन हो। आयुक्त से प्राप्त प्रस्तावानुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में शासन की ओर से पक्ष समर्थन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, कटनी जिला कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, कटनी जिला कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार आदेश प्रारूप स्वच्छ प्रति अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अनु.अधि. (प्रम.प्र.)

उप सचिव

म.प्र. (प्रम.प्र.)

०

पि.प्र. 3

३/३

३/३

जा.क. 434/म.बा.वि. 50-1
क्र. 435.
03-3-2016.

जा.क. 676/उप/म.बा.वि. 16
क्रमांक 3/1/16

02-3-16.

-4-

एफ 7-15/2016/50-1

मन्त्री
म.बा.वि.
छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती मनोरमा खरे
विषय: विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती मूलतः विधि और विधायी कार्य विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अनु.अधि. (अ.व.प्र.)

उप सचिव

प्रमुख सचिव

21/3

उप सचिव

राज्याप्रदेश शासन,
शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, नेपाल

विधि विभाग,

5/3/16

224
4/3/16

278/निय/सचिव/म.बा.वि.
5/3
224/4/3/16
224/4/3/16
224/4/3/16

7539

(72)

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल,
// आदेश //

भोपाल दिनांक 03/03/2016

क्रमांक एफ 7-15/2016/50-1 :: सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (1908 का अधिनियम-5) के आदेश सल्टाईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, कटनी जिला कटनी म.प्र. को याचिका क्रमांक 22409/2015 श्रीमती मनोरमा खरे विरुद्ध म.प्र शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने के लिये एवं कार्य करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरन्त अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके द्वारा नीचे दिये गये हैं, निम्नानुसार कार्य करेगा:-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल दस्तावेज, नियम अधिसूचनाएं आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करना।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता को सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति साथ सरकार को एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की मूल सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले में विशिष्टीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

//2//

- (7) मामलों की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत कराना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता म.प्र.राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखेगा कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिवक्ता मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी को यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। एतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रवीन्द्र सिंह)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

//3//

पृ.क्र. एफ 7-10/2016/50-1,

भोपाल, दिनांक 03/03/2016

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
3. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय भोपाल,
4. कलेक्टर, जिला कटनी म.प्र.,
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, कटनी जिला कटनी म.प्र.प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति/रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले की प्रगति के साथ इस विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु।
6. शासकीय अधिवक्ता/फीडर (अभिभाषक), मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 9520/2016

WP/22409/2015

पंजी क. 372 / म.प्र.वि. / 50-1
दिनांक 24/1/16

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

[FOR ADMISSION and I.R.]

Fixed for 04-03-2016

WP-DA-16

Respondent No. 1

R. M. Pithawe
24/1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Principal Secretary Women And Child Development
Department Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 21-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/22409/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Smt. Manorama Khare** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/22409/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



Your faithfully

Qh

DEPUTY REGISTRAR